




संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट / प्रमाण-पत्र

इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि० आगरा द्वारा जनपद व तहसील मैनपुरी के अन्तर्गत शिकोहाबाद – भोगाँव मार्ग (SH-84) की वॉयी पटरी किमी० सं० 51 से 52 के मध्य (चैनेज 51.950) ग्राम संसारपुर के गाटा सं० 1149/2 और 1150मि. पर नवीन आउटलेट/पेट्रोल पम्प विकसित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित स्थल का सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी की ओर से श्री मोहन चन्द्र तिवारी, क्षेत्रीय वन अधिकारी मैनपुरी एवं इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि०की ओर से प्रतिनिधि मो० रुद्रेशाम जुबैरी द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक 19/10/2019..... किया गया। संयुक्त निरीक्षण में लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित ले आउट प्लान के आधार पर प्रभावित होने वाली 0.052278 हे० संरक्षित वन भूमि का आगणन किया गया, जिसकी गणना अलग से संलग्न है। प्रभावित वन भूमि 0.052278हे० की प्रयोक्ता एजेन्सी की माँग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेख करना है रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य में संरक्षित वनभूमि के अन्तर्गत कोई भी वृक्ष विद्यमान/बाधक नहीं है तथा प्रस्तावित स्थल पर वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया है।


19/10/2019
(मो० सी० तिवारी)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेज-मैनपुरी


मो० रुद्रेशाम जुबैरी / Mohd. Ehtisham Zubair
प्रमुख (रिटेल सेल) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि० (पि. ए.)
Indian Oil Corporation Ltd. (P. L.)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन (रेटेल डिवीजन) लि०
इंडियन ऑयल भवन / Indian Oil Building
एन.ए. प्लेस / N.A. Place
आगरा / Agra

प्रति धर.


मनीष मिश्रा 22-11-19
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी